न्यायालय– सिविल जज (सी.डि.), चित्रकूट

परिवाद संख्या– 569/2019

रामशरन बनाम चुनवाद आदि

22.03.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी उपस्थित नहीं है।

विगत कई तिथियों से पत्रावली पर परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवादी को परिवाद अग्रसारित किये जाने में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादी की अनुपस्थिति एवं परिवादी द्वारा पैरवी न किये जाने के कारण परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 204(4) दं0प्र0सं0 के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादपत्र अंतर्गत धारा 204(4) दं0प्र0सं0 के तहत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी.डि.),
चित्रकूट।